



५६३।।

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घटना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : ५७१६/३६/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : १५ मार्च 2016

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद—लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई हैं:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच०ड००एफ०स०० बैंक	50100099245715	IFSC Code HDFC0001112	367.44

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	लखनऊ/अमेठी वार्ड नं० ८ एवं ११	83	117	1	126.065
2	लखनऊ/अमेठी वार्ड-९	83	42	1	48.91
3	लखनऊ/अमेठी वार्ड-७	83	94	1	94.30
4	लखनऊ/अमेठी वार्ड-१	83	99	1	98.165
	योग				367.44

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिह्नित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 3— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



565/2

दूरध्वा- 2286709
2286710

नव चंतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 4— उक्त धनराशि ढूड़ा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी गूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।
- 5— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से ढूड़ा द्वारा एम०ओ०य० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।
- 8— ढूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर ढूड़ा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदी,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रकपत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल—सूडा।
5. लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक